

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

करण संख्या : 65/2019

प्रार्थीगण

1. सामीरखान वल्द हिन्दालखान
2. साजनखान वल्द हिन्दालखान
3. लख्मीरखान वल्द हिन्दालखान
4. अब्दुलखन वल्द हिन्दालखान
5. ईनायतखान वल्द हिन्दालखान
6. मीरों पत्नी हिन्दालखान

कौम मुसलमान साकिन धोलपालिया नाडा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रेशी बेवा ईसा
2. साकिर वल्द आदम
3. होती वल्द आदम
4. अमरा वल्द सरीफ
5. राजा वल्द सरीफ
6. मिसरा वल्द सरीफ
7. मखणी पत्नी सरीफ कौम मुसलमान साकिन धोलपालिया नाडा ग्राम पंचायत मालपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
8. हासा वल्द अली कौम मुसलमान साकिन धोलपालिया नाडा
9. तीजों पत्नी भीखा
10. डूंगरा वल्द पुरखा कौम जाट साकिन भीलों का गोल
11. शैरा वल्द पुरखा
12. लिखमा वल्द पुरखा कौम जाट साकिन भीलों का गोल
13. फतूखां वल्द बिलाल
14. जानूखां वल्द बिलाल
15. शेरमोहम्मद वल्द बिलाल
16. अन्नी पत्नी बिलाल कौम मुसलमान साकिन धोलपालिया नाडा
17. सतार वल्द अलफ कौम मुसलमान साकिन धोलपालिया नाडा
18. चिनाखान वल्द हकू
19. कौजाखान वल्द हकू
20. मखनी पत्नी हकू
21. जमा पत्नी मला
22. मलुकखां वल्द आरू कौम मुसलमान साकिन धोलपालिया नाडा तहसील गुडामालानी
23. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुडामालानी
24. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर


राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

--: आदेश ::--

दिनांक :-15-01-2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपडित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम के तहत पटवार मण्डल मालपुरा के  ग्राम धोलपालिया नाडा के खेत खसरा नम्बर 439 रकबा 51-05 बीघा का नेखम


उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण की विद्वान अधिवक्तागण की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072-2075 सरहद मौजा धोलपालिया नाडा के खेत खसरा नम्बर 439 रकबा 51-05 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा धोलपालिया नाडा के खेत खसरा नम्बर 439 रकबा 51-05 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना रागेष्वरी गैस टर्मिनल रावली नाडी, नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फ़ैसलसुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15/11/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी